दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 09 नवंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 42

महत्वपूर्ण एवं खास

जौनपुर में सड़क दुर्घटना में चाचा भतीजे की मौत

जौनपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती देर शाम भीषण सडक़ हादसे में मोटरसाइकिल सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई। पुलिस ने आज बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों ने चाचा को मृत घोषित कर दिया। जबकि बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाते वक्त भतीजे की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पीएफआई साजिश मामला : एनआईए ने केरल में 3 जगहों पर छापेमारी की

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल के मलप्पुरम जिले में तीन स्थानों पर बिना प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पदाधिकारियों, सदस्यों और कैडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित एक मामले में तलाशी अभियान चलाया। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि पीएफआई के सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनलों, हवाला, चंदा आदि के जरिए फंड जुटाने में शामिल थे, जिनका इस्तेमाल आतंक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता था। अधिकारी ने कहा, वे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे थे या योजना बना रहे थे। आरोपी व्यक्ति देश भर में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे। एनआईए ने इससे पहले 22 सितंबर को देश भर में 39 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज आदि सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।

दक्षिण भारत को मिलेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, पीएम मोदी 11 को दिखाएंगे हरी झंडी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दक्षिण भारत को जल्द ही देश की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को देश की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दक्षिण भारत की यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी जिसे दिल्ली से वाराणसी रूट पर चलाया गया था। भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित हाई स्पीड पांचवी वंदे भारत ट्रेन को 11 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जो दक्षिण भारत में चलाई जाएगी। 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 वंदे भारत ट्रेन देश के हर कोने को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के वीडियो को ट्विटर पर डाल कर यह जानकारी दी है कि दक्षिण भारत के लोगों को पहली और देश की पांचवी वंदे भारत ट्रेन सौगात के रूप में जल्द मिलने वाली है। इस ट्रेन का ट्रायल रन चेन्नई मैसूर के बीच शुरू हो चुका है।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले नदी में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, तीन लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिर गई। इससे तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को दतिया और ग्वालियर के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग रतनगढ़ माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे।

जानकारी के अनुसार हादसा दतिया जिले में हुआ है। बताया गया कि सोमवार सुबह भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के जाखोली बिंडवा गांव के कुशवाह परिवार और क्षेत्र के अन्य लोग माता के जवारे लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रतनगढ़ माता मंदिर गए थे। वहां से शाम करीब 7.30 बजे दबोह लौट रहे थे। रास्ते में सेवढ़ा सनकुआं सिंध नदी का पुराना छोटा पुल पड़ता है। यहीं से गुजरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और नदी में जा गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ट्राली में सवार लोग चिल्लाने लगे। जिसके बाद आसपास के लोग बचाव के लिए दौड़े। कुछ समय बाद ही मौके पर पुलिस पहुंच गई।

हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। बताया गया कि ट्रॉली में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 30 लोग सवार थे। प्रशासन ने भी तीन मौत की पुष्टि की है। उनकी पहचान ऊषा कुशवाह, कस्तूरी कुशवाह एवं गब्बर कुशवाह के रूप में हुई है। तीनों मृतक दबोह लहार क्षेत्र के निवासी हैं। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें दतिया जिला अस्पताल और ग्वालियर भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस जगह ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरी, वह नदी के किनारे का स्थान था और वहां पानी नहीं था। अन्यथा कई और लोगों की जानें जा सकती थीं। मृतकों की संख्या बढऩे की आशंका है। रात का समय होने से मौके पर बचाव कार्य में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय कुमार व सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस व प्रशासन की ओर से बचाव कार्य आरंभ किया गया।

कुपवाड़ा में अनियंत्रित होने से पलटी तेज रफ्तार बस, 20 लोग घायल

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के वातायिन इलाके में आज एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होने की वजह से अचानक पलट गई और देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई। राहत की बात यह है कि अब तक इस हादसे में एक भी मौत की खबर नहीं है। फिलहाल, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और घायलों की शिनाख्त करने में जुटी है।

गलती से चली राइफल , कांस्टेबल घायल

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना के कुमारम भीम आसिफाबाद जिले में मंगलवार को गलती से राइफल के चलने से एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना कौटाला थाने की है जब कांस्टेबल सुरा रजनी कुमार संतरी ड्यूटी पर थे। इस घटना में गोली सिपाही के जबड़े में जा लगी। उन्हें करीमनगर के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां वह जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने खुद आत्महत्या के इरादे से गोली चलाई या गलती से गोली चली।

पुलिस के अनुसार, थाने में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने सुबह करीब 5 बजे गोली की आवाज सुनी, वे बाहर निकले और संतरी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को खून से लथपथ देखा। उन्हें कागजनगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें करीमनगर में शिफ्ट कर दिया गया।

मंचेरियल जिले के बटवानपल्ली गांव के मूल निवासी कांस्टेबल तेलंगाना राज्य विशेष पुलिस की 13वीं बटालियन से थे।

पिछले दो वर्षों के दौरान तत्कालीन आदिलाबाद जिले में मिसफायर की यह तीसरी घटना है।

7 जून, 2020 को निर्मल जिला कलेक्टर के कैंप कार्यालय में ड्यूटी के दौरान राइफल के चलने से एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था।

फरवरी, 2020 में, आदिलाबाद जिले के तिरयानी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल की बंदूक की सफाई के दौरान गोली चल गई थी जिससे वह घायल हो गया था।

कांग्रेस के 2 विधायकों पर छापेमारी में मिला नोटों का पहाड़, 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। आयकर विभाग की ओर से मंगलवार को कहा गया कि हाल ही में झारखंड में दो कांग्रेस विधायकों समेत कोयला व्यापार, परिवहन, लौह खनन आदि से जुड़े कुछ व्यापारिक समूहों के यहां की गई छापेमारी में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन/निवेश का पता चला है। 4 नवंबर को शुरू की गई कार्रवाई की जद में दो नेता और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। आयकर विभाग ने कहा, तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की गई। 16 बैंक लॉकरों पर रोक लगाई गई। अब तक की तलाशी में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन / निवेश का पता चला है।

इनकम टैक्स ने कांग्रेस के दो विधायकों के ठिकानों पर तलाशी ली थी, जिनकी पहचान अधिकारियों ने कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के रूप में बताया। बेरमो सीट से विधायक जयमंगल ने भी रांची में आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए ऐक्शन की पुष्टि की और कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। जेवीएम-पी से अलग होकर प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस अभी जेएमएम के साथ सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी अगुआई हेमंत सोरेन कर रहे हैं।

विभाग ने रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, पटना, गुरुग्राम व कोलकाता में स्थित 50 से अधिक परिसरों में तलाशी ली गई।

तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि व्यापारिक समूहों ने कर चोरी के विभिन्न तरीकों, जैसे नकदी में ऋण का लेनदेन, नकदी में भुगतान और उत्पादन में कमी का सहारा लिया।

आईटी विभाग ने कहा, जांच के दौरान अचल संपत्तियों में किए गए निवेश के श्रोत का संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। ठेका आदि लेने वाला एक समूह अपने खातों को नियमित ढंग से अपडेट नहीं कर रहा था। यह समूह वर्ष के अंत में एकमुश्त कच्चे माल/उप-अनुबंध व्यय की खरीद के गैर-वास्तविक लेनदेन के अपने खचरें को बढ़ा रहा था। आयकर विभाग ने कहा कि लौह अयस्क व कोयला व्यापार में लगे दूसरे समूह के मामले में भारी मूल्य के लौह अयस्क का बेहिसाब स्टॉक पाया गया।

उक्त समूह ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अपने बेहिसाब धन को असुरक्षित ऋण और शेयर पूंजी के रूप में पेश किया है। इस समूह से जुड़े पेशेवरों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी भी सहायक दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया था और कंपनी के लेखाकार द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विभाग अभी मामले की जांच कर रहा है।

पुलिस परीक्षा का पेपर लीक : सीआरपीएफ का 1 जवान, 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर (जेकेपीएसआई) परीक्षा के पेपर लीक मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी और सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल समेत चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर पुलिस के एएसआई अशोक कुमार, सीआरपीएफ कांस्टेबल सुरिंदर कुमार और दो निजी व्यक्तियों प्रदीप कुमार और बजिंदर सिंह के रूप में हुई है।

सीबीआई ने इस घोटाले में अब तक एक एएसआई और जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो कांस्टेबल, एक बीएसएफ कमांडेंट, एक सीआरपीएफ अधिकारी, एक पूर्व सीआरपीएफ कांस्टेबल और एक जम्मू-कश्मीर सरकारी स्कूल के शिक्षक सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जांच के दौरान पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस के पैकिंग इंचार्ज ने परीक्षा के प्रश्नपत्र को पैक करते समय कथित तौर पर चुरा लिया और उसे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी को बेच दिया। सीबीआई ने कहा, हरियाणा में रहने वाले आरोपी ने लीक हुए प्रश्नपत्र की बिक्री के लिए उम्मीदवारों की याचना करने के लिए जम्मू-कश्मीर में स्थित अन्य दलालों से संपर्क किया। जम्मू-कश्मीर के दलाल कथित तौर पर परीक्षा से एक दिन पहले उम्मीदवारों को जम्मू से हरियाणा के करनाल ले गए और उम्मीदवारों को करनाल ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था आरोपी एएसआई द्वारा की गई थी। करनाल के एक आरोपी ने करनाल में अभ्यर्थियों को लीक हुए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए होटल की व्यवस्था की थी। सुरिंदर ने कथित तौर पर कुछ उम्मीदवारों को लीक प्रश्नपत्र मुहैया कराया था। सीबीआई ने 3 अगस्त को जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय, पलौरा, तत्कालीन सदस्य, तत्कालीन अवर सचिव, जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेएंडकेएसएसबी) के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी शामिल थे। पूर्व सीआरपीएफ कर्मियों, जम्मू-कश्मीर पुलिस एएसआई, अखनूर में एक कोचिंग सेंटर के मालिक, बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी, निजी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस में उप-निरीक्षकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा जम्मू-केएसएसबी द्वारा आयोजित मार्च में आयोजित किया गया था।

4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसकी जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने जेकेएसएसबी, बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी, लाभार्थी उम्मीदवारों और अन्य के अधिकारियों के बीच साजिश रची और लिखित परीक्षा के संचालन में घोर अनियमितताएं कीं।

जम्मू, राजौरी और सांबा जिलों से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत असामान्य रूप से ज्यादा था। जेकेएसएसबी द्वारा नियमों का उल्लंघन कथित रूप से बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी को प्रश्न पत्र सेट करने का कार्य सौंपने में पाया गया था। 5 अगस्त को जम्मू, श्रीनगर और बेंगलुरु सहित 30 स्थानों पर आरोपियों की तलाशी ली गई। जांच में खुलासा हुआ है कि इच्छुक उम्मीदवारों और उनके परिवारों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र तक पहुंचने के लिए आरोपी को 20 से 30 लाख रुपये का कथित भुगतान किया गया था। इस संबंध में हरियाणा में अधिवासित एक गिरोह, जम्मू-कश्मीर के कुछ शिक्षकों, सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और जेकेएसएसबी के कुछ सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों की संलिप्तता कथित रूप से सामने आई थी।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3.12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी (एमडीएस) के बड़े पैमाने पर धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में वाई. निंगथेम सिंह और उसके सहयोगियों की 3.12 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने 2017 में एमडीएस के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम की धारा 13 (2) के तहत इंफाल पश्चिम पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

169 करोड़ रुपये से अधिक के एमडीएस फंड की हेराफेरी के आरोप थे। ईडी को जांच के दौरान पता चला कि एमडीएस के तत्कालीन परियोजना निदेशक सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक मिलीभगत से एमडीएस खाते से भारी मात्रा में धन का गबन और हेराफेरी की थी।

बाद में इन डायवर्ट किए गए फंडों को विभिन्न शेल फर्मों के खातों और अन्य सहयोगी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। सिंह और उसके साथियों ने अलग-अलग जगहों पर कई संपत्तियां हासिल कीं। इस सिलसिले में ईडी ने 3.04 करोड़ रुपये की छह अचल संपत्ति और विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध 8,20,000 रुपये की राशि कुर्क की है। एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में ईडी ने इससे पहले नवंबर 2021 को 11 अलग-अलग बैंक खातों को आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 41,53,489 रुपये की शेष राशि के साथ फ्रीज कर दिया है।

शिक्षा मुनाफा कमाने वाला धंधा नहीं, ट्यूशन फीस किफायती होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने फीस 24 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया था, जो निर्धारित फीस से सात गुना अधिक थी। इसको बाद में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 सितंबर, 2017 को अपने सरकारी आदेश में एमबीबीएस छात्रों की ट्यूशन फीस में वृद्धि की थी। अदालत ने कहा, हमारी राय है कि हाई कोर्ट ने 6 सितंबर, 2017 के उस सरकारी आदेश को रद्द करने में कोई गलती नहीं की है, जोकि 2017-2020 के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना करना यानी पहले तय फीस से सात गुना ज्यादा करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण/ समीक्षा करते समय कुछ कारकों पर प्रवेश और शुल्क नियामक समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत ट्यूशन फीस की राशि वापस करने के निर्देश जारी करने में कोई गलती नहीं की है। इसलिए, हाई कोर्ट का सरकार के फैसले को रद्द करना बिल्कुल उचित है।

कोर्ट ने बताया कि प्रबंधन को अवैध सरकारी आदेश दिनांक 06.09.2017 के अनुसार बरामद/एकत्र की गई राशि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा, जैसा कि उसने नोट किया कि मेडिकल कॉलेजों ने कई वर्षों तक राशि का उपयोग किया है और कई वर्षों तक अपने पास रखा है। वहीं, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों से कर्ज प्राप्त करने के बाद ज्यादा ट्यूशन फीस का भुगतान किया है और उच्च ब्याज दर दी। अदालत ने कहा कि इसलिए, हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत एकत्र की गई ट्यूशन फीस की राशि वापस करने के लिए पहले के निर्धारण के अनुसार देय राशि को समायोजित करने के बाद भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग को तैयार, नए युग की होगी शुरुआत

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-एस 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च के लिए तैयार है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने मंगलवार को यह घोषणा की। स्काईरूट एयरोस्पेस का पहला मिशन, जिसका नाम प्रारंभ है, तीन लोगों को ले जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्चपैड से लॉन्च किया जाएगा। स्काईरूट एयरोस्पेस के सीईओ और सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना ने

कहा, अधिकारियों ने 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च विंडो को नोटिफाई किया है। मौसम की स्थिति के आधार पर अंतिम तारीख तय की जाएगी।

इस मिशन के साथ ही, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन जाएगी जिसने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया हो। इसे एक नए युग की भी शुरुआत माना जा रहा है और इसे साल 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया था। स्काईरूट एयरोस्पेस के सीईओ नागा भरत डाका ने कहा, विक्रम-एस रॉकेट एक सिंगल-स्टेज सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो तीन लोगों को ले जाएगा और अंतरिक्ष लॉन्च वाहनों की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करने में मदद करेगा।

चंदना ने कहा कि इसरो और (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर) के अमूल्य समर्थन के कारण ही स्काईरूट इतने कम समय में विक्रम-एस रॉकेट मिशन को तैयार कर सका। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काईरूट के लॉन्च वाहनों का नाम विक्रम रखा गया है। हैदराबाद में स्थित, स्काईरूट अंतरिक्ष में कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अत्याधुनिक अंतरिक्ष लॉन्च व्हीकल बनाता है।